प्रेस विज्ञप्ति

25.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने **रुचि ग्रुप** से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच के सिलसिले में 23.12.2025 को इंदौर और मुंबई में कई स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने भोपाल स्थित सीबीआई द्वारा रुचि समूह की कंपनियों, जैसे कि रुचि ग्लोबल लिमिटेड (अब, एग्रोट्रेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड), रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब, स्टीलटेक रिसोर्सेज लिमिटेड) और आरएसएएल स्टील प्राइवेट लिमिटेड (अब, एलजीबी स्टील प्राइवेट लिमिटेड) के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र शाहरा और उमेश शाहरा द्वारा स्थापित इन कंपनियों पर आरोप है कि वे धन के गबन और अन्य प्रकार की लेखांकन हेराफेरी के माध्यम से बैंक धोखाधड़ी के विभिन्न मामलों में शामिल थीं, जिससे कई बैंकों को गलत तरीके से नुकसान हुआ।

ईडी की जांच में एक साजिश का पर्दाफाश हुआ, जिसमें कई फर्जी कंपनियां बनाकर लेन-देन में हेराफेरी की गई। डिफ़ॉल्ट करने वाली कंपनियों और फर्जी संस्थाओं ने निजी लाभ के लिए धन का दुरुपयोग करने हेतु फर्जी साख पत्र और नकद ऋण लेनदेन किए। इसके अलावा, फर्जी बिक्री और खरीद दर्ज की गई और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लिए गए ऋण की राशि को हड़पने के लिए जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया। इस धोखाधड़ी से प्राप्त अपराध की धनराशि का डिसगाइस किया गया और छुपाया गया।

तलाशी के दौरान, आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों के 20 लाख रुपये से अधिक के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और 23 लाख रुपये से अधिक की नकदी जब्त की गई। साथ ही, आरोपियों की भूमिका साबित करने वाले डिजिटल उपकरणों सहित महत्वपूर्ण आपत्तिजनक रिकॉर्ड बरामद कर जब्त किए गए हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।